अनुबंध 8.1
बजट दस्तावेजों की कुंजी - बजट 2006-07*

वार्षिक वित्तीय विवरण

संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, भारत सरकार के अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण संसद में प्रस्तुत करना होता है । यह विवरण, जिसका शीर्षक 'वार्षिक वित्तीय विवरण' है, मुख्य बजट दस्तावेज होता है । वार्षिक वित्तीय विवरण भारत सरकार के आय-व्यय को तीन भागों में दर्शाता है, जिनमें सरकारी खाते : (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता, रखे जाते हैं।

2. सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सभी राजस्व, जुटाये गये ऋण और इसके द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली से प्राप्त राशि से समेकित निधि बनती है । सरकार के सभी व्यय समेकित निधि में से किये जाते हैं और बिना संसद द्वारा प्राधिकरण के कोई राशि समेकित निधि से निकाली नहीं जा सकती है।

3. ऐसे अवसर हो सकते हैं, जब सरकार को संसद से प्राधिकरण प्राप्त होने तक तत्काल कोई अदृष्ट व्यय करना पड़े । आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय होती है, जो ऐसा व्यय करने के लिए राष्ट्रपति के आदेशों के अधीन होती है । ऐसे व्यय के लिए और तत्समान राशि समेकित निधि से निकाले जाने के लिए संसद का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है तथा आकस्मिकता निधि से खर्च की गयी राशि को निधि में डाल दिया जाता है । इस समय निधि की संसद द्वारा प्राधिकृत मूल निधि 500 करोड़ रुपये है।

4. सरकार के सामान्य आय-व्यय, जो समेकित निधि से संबंध रखते हैं, के अतिरिक्त कुछ अन्य लेनदेन सरकारी खातों में किये जाते हैं, जिनके संबंध में सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है, उदाहरण के लिए भविष्य निधियों से संबंधित लेनदेन, लघु बचत संग्रह, अन्य जमाराशियाँ, आदि । इस प्रकार प्राप्त धन को लोक लेखा में रखा जाता है और उससे जुड़े हुए संवितरण भी किये जाते हैं । सामान्य रूप से कहा जाये, तो लोक लेखा निधियाँ सरकार की नहीं होतीं और उन्हें किसी समय उन व्यक्तियों और प्राधिकारियों को लौटाया जाना होता है, जिन्होंने उसे जमा किया था । इसलिए लोक लेखा से किये जाने वाले भुगतानों के लिए संसद का प्राधिकरण आवश्यक नहीं होता । कुछ मामलों में सरकार के राजस्व का एक हिस्सा विशिष्ट उद्देश्यों यथा, सड़कों का विकास, प्राथमिक शिक्षा, जिसमें मध्याह्न भोजन शामिल है, आदि के लिए खर्च किये जाने हेतु, अलग निधियों में रखा जाता है । इन राशियों को संसद के अनुमोदन से समेकित निधि में से निकाला जाता है और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए खर्च किये जाने हेतु लोक लेखा में रखा जाता है । तथापि, विशिष्ट उद्देश्यों पर खर्च की गयी वास्तविक राशि के लिए संसद में मतदान कराया जाता है, भले ही संसद ने इस धन को निधियों में अंतरण के लिए पहले ही उद्दिष्ट कर दिया हो ।

5. संविधान के अंतर्गत बजट में राजस्व लेखा के संबंध में व्यय को अन्य व्यय से अलग दिखाया जाना होता है । इसलिए सरकार के बजट में समाविष्ट होते हैं (i) राजस्व बजट; और (ii) पूँजीगत बजट ।

6. राजस्व बजट सरकार की राजस्व आय (कर राजस्व और अन्य राजस्व) और इस राजस्व में से किये गये खर्च को मिला कर बनता है । कर राजस्व में समाविष्ट होते हैं करों से प्राप्त आय और अन्य शुल्क, जो संघ सरकार द्वारा लगाये जाते हैं । वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाये गये राजस्व आय के अनुमानों में वित्त विधेयक में किये गये कर-प्रस्तावों के प्रभाव को हिसाब में लिया जाता है । सरकार की अन्य आय में मुख्यतः सरकार द्वारा किये गये निवेश पर ब्याज और लाभांश, फीस और सरकार द्वारा दी गयी सेवाओं के लिए शुल्क अन्य प्राप्तियाँ शामिल होती हैं। राजस्व व्यय सरकार के विभागों के सामान्य

* केंद्रीय बजट 2006-07 से पुन:प्रस्तुत

अनुबंध 8.1
बजट दस्तावेजों की कुंजी - बजट 2006-07* *(जारी)*

संचालन और विविध सेवाओं के लिए, सरकार द्वारा लिये गये कर्ज पर ब्याज प्रभार, आर्थिक सहायता, आदि के लिए होता है । मोटे तौर पर कहा जाये, तो जो व्यय आस्तियों का सृजन नहीं करता, उसे राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है । राज्य सरकारों और अन्य पार्टियों को दिये गये सभी अनुदानों को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है, भले ही कुछ अनुदान आस्तियों के सृजन के लिए हो सकते हैं ।

7. पूँजीगत बजट पूँजीगत प्राप्तियों और भुगतानों से बनता है । पूँजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदें सरकार द्वारा जनता से जुटाये गये ऋण, जिन्हें बाजार ऋण कहा जाता है, खजाना बिलों की बिक्री के माध्यम से सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक से और अन्य पार्टियों से लिये गये उधार, विदेशी सरकारों और निकायों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार और अन्य पार्टियों को दिये गये ऋणों की वसूली होती हैं । पूँजीगत भुगतान में भूमि, भवन, मशीन, उपकरण जैसी आस्तियों का अभिग्रहण, और शेयरों, आदि में निवेश और केंद्र सरकार द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार, सरकारी कंपनियों, निगमों तथा अन्य पार्टियों को दिये गये ऋण और अग्रिम शामिल होते हैं । पूँजीगत बजट में लोक लेखा में किये गये लेनदेन भी समाविष्ट होते हैं ।

लेखांकन वर्गीकरण

8. वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों और संवितरण के अनुमानों और अनुदान मांगों में व्यय को संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाया जाता है । इस वर्गीकरण का अभिप्राय संसद को और जनता को संसाधनों के आबंटन तथा सरकार के व्यय के प्रयोजनों का सार्थक मूल्यांकन करने की अनुमति देना होता है।

9. संविधान के अंतर्गत खर्च की कुछ मदें, यथा राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ, राज्य सभा के सभापति और उप सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के वेतन, भत्ते, एवं पेंशन सरकार द्वारा जुटाये गये ऋणों पर ब्याज एवं उनकी चुकौती और न्यायालयों की डिक्री को पूरा करने के लिए किये गये भुगतान, आदि समेकित निधि पर प्रभारित किये जाते हैं और इनके लिए लोकसभा में मतदान की जरूरत नहीं होती है । वार्षिक वित्तीय विवरण अलग से समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को दर्शाता है।

अनुदानों के लिए मांग

10. समेकित निधि से किये जाने वाले अनुमानित व्यय, जो वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किये जाते हैं और जिन पर लोकसभा में मतदान अपेक्षित होता है, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसरण में अनुदान मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संबंध में एक अनुदान मांग प्रस्तुत की जाती है । तथापि, बड़े मंत्रालय या विभागों के संबंध में एक से अधिक मांग प्रस्तुत की जाती है । प्रत्येक मांग में सामान्यतः किसी सेवा के लिए अपेक्षित कुल प्रावधान शामिल होते हैं, अर्थात् राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान और सेवा से संबंधित ऋण और अग्रिमों के लिए भी प्रावधान । विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक अलग मांग प्रस्तुत की जाती है । जहाँ किसी सेवा के लिए प्रावधान पूरी तरह समेकित निधि पर प्रभारित व्यय के लिए होता है, उदाहरणार्थ, ब्याज भुगतान, वहाँ एक अलग विनियोजन, जो मांग से भिन्न होता है, उस व्यय के लिए प्रस्तुत किया जाता है और उसके लिए संसद द्वारा मतदान जरूरी नहीं होता है । तथापि, जहाँ किसी सेवा पर 'दत्तमत' और 'प्रभारित', दोनों ही व्यय मदें शामिल होती हैं, वहाँ 'प्रभारित' को उस सेवा के लिए प्रस्तुत मांग में भी शामिल किया जाता है, लेकिन उस मांग में 'दत्तमत' एवं 'प्रभारित' प्रावधानों को अलग-अलग दिखाया जाता है ।

अनुबंध 8.1
बजट दस्तावेजों की कुंजी - बजट 2006-07* *(जारी)*

11. अनुदानों के लिए मांग लोक सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत की जाती है । प्रत्येक मांग में पहले 'दत्तमत' और 'प्रभारित' व्यय के साथ-साथ मांग में अलग से शामिल 'राजस्व' और 'पूँजीगत' व्यय के कुल जोड़ दिये जाते हैं और जिस व्यय के लिए मांग प्रस्तुत की जाती है उसका सकल जोड़ भी दिया जाता है ।इसके बाद भिन्न-भिन्न लेखाशीर्षों के अंतर्गत व्यय का अनुमान दिया जाता है । 'योजना' और 'योजनेतर' के बीच प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत व्यय का विश्लेषित विवरण भी दिया जाता है । वसूली की राशि, जिसे लेखा में व्यय में से घटाया जाता है, उसे भी दिखाया जाता है । अनुदान के लिए मांग का सारांश इस दस्तावेज के आरंभ में दिया जाता है, जबकि 'नयी सेवा' या 'सेवा की नयी लिखत' के ब्यौरे, यथा, नयी कंपनी, उपक्रम का गठन या नयी स्कीम आरंभ करना, आदि, को दस्तावेज के अंत में इंगित किया जाता है ।

वित्त विधेयक

12. संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किये जाते समय संविधान के अनुच्छेद 110(1)(क) की अपेक्षा को पूरा करने के लिए एक वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बजट में प्रस्तावित करों को लागू करने, समाप्त करने, माफी देने, बदले जाने, या विनियमित किये जाने के ब्यौरे दिये जाते हैं। वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित है। इसके साथ एक ज्ञापन होता है, जिसमें विधेयक में शामिल प्रावधानों की व्याख्या की गयी होती है।

वित्त विधेयक के प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन

13. वित्त विधेयक में अंतर्विष्ट कराधान प्रस्तावों को आसानी से समझे जाने के लिए प्रावधानों और उनके निहितार्थों की व्याख्या दस्तावेज में 'वित्त विधेयक के प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन' में की जाती है ।

14. संविधान के अनुसार प्रस्तुत किये गये बजट दस्तावेजों को कुछ विधिक एवं क्रियाविधि संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करना होता है और इसीलिए वे स्वयं बजट के प्रमुख लक्षणों का स्पष्ट संकेत नहीं दे सकते हैं । बजट को आसानी से समझने के लिए बजट के साथ कुछ अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं ।

बजट एक नजर में

15. 'बजट एक नजर में' दस्तावेज संक्षेप में प्राप्तियों और संवितरण के साथ कर-राजस्व और अन्य प्राप्तियों के विस्तृत ब्यौरे प्रस्तुत करता है । यह दस्तावेज योजना और योजनेतर व्यय का, क्षेत्र और मंत्रालय/विभागों के हिसाब से योजना परिव्यय के आबंटन का व्यापक विश्लेषित विवरण तथा केंद्र सरकार द्वारा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को किये गये संसाधन अंतरणों का ब्यौरा भी प्रदर्शित करता है । यह दस्तावेज केंद्र सरकार का राजस्व घाटा, सकल प्राथमिक घाटा और सकल राजकोषीय घाटा भी दर्शाता है । सरकार की राजस्व प्राप्तियों से हुए अधिक राजस्व व्यय सरकार का राजस्व घाटा बनते हैं। सरकार मुख्यतः दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी करके उधार, अर्थात् बाजार उधार, लेती है । इसके अतिरिक्त सरकार अनेक स्कीमों के अंतर्गत भी निधियाँ उधार लेती है, जो पूँजीगत प्राप्तियों का भाग बनते हैं । एक ओर राजस्व, पूँजी और चुकौती को घटाकर ऋण के जरिए सरकार का कुल व्यय और दूसरी ओर सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ और पूँजीगत प्राप्तियाँ, जो उधार के स्वरूप की नहीं होतीं, लेकिन अंततः सरकार पर उपचित होती हैं, के बीच का अंतर सकल राजकोषीय घाटा बनता है । सकल प्राथमिक घाटा का मापन सकल राजकोषीय घाटा में से सकल ब्याज

अनुबंध 8.1
बजट दस्तावेजों की कुंजी - बजट 2006-07* *(जारी)*

भुगतान को घटाकर किया जाता है । बजट में 'सकल राजकोषीय घाटा' और 'सकल प्राथमिक घाटा' को संक्षेप में क्रमशः 'राजकोषीय घाटा' और 'प्राथमिक घाटा' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है ।

व्यय बजट खंड 1

16. व्यय बजट खंड 1 विविध मंत्रालयों/विभागों के राजस्व और पूँजीगत संवितरण से संबंध रखता है और प्रत्येक के लिए 'योजना' और 'योजनेतर' के अंतर्गत अनुमान के ब्यौरे देता है। यह विविध प्रकार के व्यय का विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है और अनुमानों के घट-बढ़ के व्यापक कारणों को भी प्रस्तुत करता है।

17. वर्तमान लेखांकन और बजट-क्रियाविधियों के अंतर्गत प्राप्तियों की कुछ श्रेणियाँ, यथा, एक विभाग से दूसरे विभाग को किये गये भुगतान और पूँजीगत परियोजनाओं या स्कीमों की प्राप्तियों को प्राप्तकर्ता विभाग के व्यय में से घटाया जाता है । अनुदान मांग में शामिल व्यय के अनुमान सकल राशि के लिए होते हैं, जबकि वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल व्यय के अनुमान निवल व्यय के लिए होते हैं, जो लेखा में प्रतिबिंबित होंगे, अर्थात् वसूलियों को हिसाब में लिये जाने के बाद । व्यय बजट दस्तावेज में कुछ अन्य परिष्कार किये जाते हैं, यथा, संबंधित प्राप्तियों के व्यय की नेटिंग करना, ताकि प्राप्तियों और व्यय के आँकड़ों में स्फीति से बचा जा सके और विविध व्यय के परिमाण का बेहतर मूल्यांकन किया जा सके । केंद्र सरकार द्वारा दी गयी और अंत-मार्च 2005 में बकाया गारंटियों को दर्शाने वाला अनुबंध प्राप्ति बजट में शामिल किया गया है । अंतरराष्ट्रीय निकायों को अंशदान अलग अनुबंध में दर्शाया गया है । एक विवरण, जिसमें (i) विविध सरकारी विभागों में कर्मचारियों की अनुमानित संख्या, और उनके लिए किया जाने वाला प्रावधान; और (ii) मंत्रालयों/विभागों द्वारा सीधे राज्य और जिला स्तर के स्वायत्त निकायों को विविध केंद्रीय एवं केंद्र-प्रायोजित आयोजना स्कीमों के अंतर्गत जारी किये गये योजना अनुदान और ऋणों को दर्शाया गया है, भी इस दस्तावेज में शामिल किया जाता है ।

व्यय बजट खंड 2

18. किसी स्कीम या किसी कार्यक्रम के लिए किये गये प्रावधान अनुदान मांग के राजस्व एवं पूँजीगत खंडों में अनेक मुख्य शीर्षों में विस्तारित हो सकते हैं । व्यय बजट खंड 2 में किसी स्कीम/कार्यक्रम के लिए किये गये अनुमान एक साथ लाये जाते हैं और एक ही स्थान पर निवल आधार पर मुख्य शीर्षों द्वारा दर्शाये जाते हैं। अनुदान मांगों में विविध स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित व्यय में अंतर्निहित उद्देश्य को समझने के लिए, इस खंड में उपयुक्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ शामिल की गयी हैं, जिसमें जहाँ भी आवश्यक हुआ है, चालू वर्ष के लिए बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच घट-बढ़ के कारण तथा बजट वर्ष की अपेक्षाएं भी संक्षेप में दी गई हैं ।

प्राप्ति बजट

19. वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किये गये प्राप्ति अनुमानों का पुनः विश्लेषण 'प्राप्ति बजट' में किया जाता है । यह दस्तावेज कर और करेतर राजस्व प्राप्तियों और पूँजीगत प्राप्तियों के ब्यौरे देता है और अनुमानों की व्याख्या करता है । यह दस्तावेज कर राजस्व और करेतर राजस्व के बकाये भी देता है, जैसाकि राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध नियमावली, 2004 के अंतर्गत अधिदिष्ट है । प्राप्ति बजट में आय-व्यय की प्रवृत्ति के साथ-साथ घाटा-संकेतकों, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से संबंधित विवरण, पूर्वानुमित राजस्व का विवरण, देयताओं का विवरण, आकस्मिक देयताओं का विवरण, आस्तियों का विवरण और बाह्य साहाय्य के ब्यौरे भी शामिल किये जाते हैं ।

अनुबंध 8.1
बजट दस्तावेजों की कुंजी - बजट 2006-07* *(जारी)*

अनुदान के लिए विस्तृत मांग

20. अनुदान मांग के पश्चात् बजट प्रस्तुत किये जाने के कुछ समय बाद, लेकिन अनुदान मांग पर चर्चा आरंभ किये जाने के पहले, लोक सभा के पटल पर अनुदान के लिए विस्तृत मांग रखी जाती है । अनुदान के लिए इन विस्तृत मांगों में अनुदान मांग में शामिल किये गये प्रावधानों का ब्यौरा और पिछले वर्ष के दौरान वस्तुतः किये गये व्यय का और ब्यौरा दिया जाता है । प्रत्येक कार्यक्रम/संगठन से संबंधित अनुमानों का एक विश्लेषित विवरण, जहाँ कहीं अनुमान में शामिल राशि 10 लाख रुपये और अधिक होती है, अनेक उद्देश्य शीर्षों के अंतर्गत दिया जाता है, जो उस कार्यक्रम पर किये गये व्यय की कोटि और स्वरूप को इंगित करता है, यथा, वेतन, मजदूरी, यात्रा व्यय, सामग्री और उपकरण, सहायता अनुदान, आदि । इन विस्तृत मांगों के अंत में उन वसूलियों के ब्यौरे दर्शाये जाते हैं, जो लेखे में व्यय में से घटाये जाते हैं ।

राज्यों को अंतरित संसाधन

21. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को अंतरित कुल संसाधनों को 'बजट एक नजर में' दस्तावेज में समाविष्ट एक विवरण में इंगित किया जाता है । करों के हिस्से, सहायता अनुदान और ऋण के जरिए किये गये इन अंतरणों के और ब्यौरों को व्यय बजट खंड 1 में दिया जाता है । अनुदानों और ऋणों की राशि वित्त मंत्रालय द्वारा संवितरित की जाती है और 'राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण' के लिए मांग में शामिल की जाती है, जो इसकी ओर से प्रस्तुत की जाती है । अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किये गये अनुदानों और ऋणों के लिए प्रावधान उनकी अपनी-अपनी मांगों में किये जाते हैं।

योजना परिव्यय

22. योजना व्यय केंद्र सरकार के कुल व्यय का काफी बड़ा अनुपात होता है । विविध मंत्रालयों की अनुदान मांगें प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत योजनेतर व्यय से अलग योजना व्यय को दर्शाती हैं। व्यय बजट खंड 1 में प्रत्येक मंत्रालय के लिए कुल योजना प्रावधानों को, जिन्हें विकास के विविध शीर्षों के अंतर्गत व्यवस्थित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है और अधिक महत्वपूर्ण योजना-कार्यक्रमों एवं स्कीमों के लिए बजट प्रावधानों का खुलास किया जाता है । योजना में शामिल की गयी महत्वपूर्ण स्कीमों का वर्णन उनके उद्देश्यों, लक्ष्यों और उपलब्धियों के साथ, संबंधित मंत्रालयों के निष्पादन बजट में किया जाता है । योजना व्यय के अनुमानों में घट-बढ़ को भी इस दस्तावेज में स्पष्ट किया जाता है ।

निष्पादन बजट

23. मंत्रालयों/विभागों द्वारा अलग से संसद में प्रस्तुत निष्पादन बजट में प्रमुख कार्यक्रमों और स्कीमों के भौतिक और वित्तीय पहलुओं को शामिल किया जाता है । निष्पादन बजट विकास संबंधी कार्यकलाप करने वाले सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किये जाते हैं और संसद सदस्यों के बीच वितरित किये जाते हैं । निष्पादन बजट में मंत्रालयों/विभागों के कार्यों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों के अनुसार बजट प्रस्तुत किया जाता है और केंद्रीय क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं/कार्यक्रमों की, जिनकी अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपये या अधिक होती है, मूल्यंकन रिपोर्ट अलग से दी जाती है । इसमें मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत विविध सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कार्यक्रमों और निष्पादनों के संबंध में विवरण शामिल किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संस्थापित और उपयोग की गयी क्षमता, वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियाँ, परिचालन परिणाम, पूँजी पर प्रतिलाभ, आदि बताये जाते हैं । निष्पादन बजट प्रबंधन के लिए विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के एक साधन के रूप में काम करता है।

अनुबंध 8.1
बजट दस्तावेजों की कुंजी - बजट 2006-07* *(जारी)*

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

24. केंद्र सरकार द्वारा किये गये योजना व्यय का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के माध्यम से व्यय किया जाता है । इन उद्यमों के परिव्यय के वित्तपोषण के लिए बजट समर्थन सरकार द्वारा या तो शेयर पूँजी में निवेश द्वारा या ऋणों के माध्यम से किया जाता है। व्यय बजट खंड 1 वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को पूँजी और ऋण संवितरण के अनुमानों को योजना और योजनेतर प्रयोजनों के लिए दर्शाता है और उनकी योजना का वित्तपोषण करने के लिए उपलब्ध अतिरिक्त बजट संसाधन भी दर्शाता है । लोक उद्यम विभाग द्वारा अलग से प्रकाशित 'सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण' शीर्षक दस्तावेज में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की कार्यपद्धति के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट दी गयी है । विविध प्रशासनिक मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन उद्यमों की कार्यपद्धति के संबंध में एक रिपोर्ट भी विविध मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों में दी जाती है, जो संसद सदस्यों को अलग से दिये जाते हैं । प्रत्येक सरकारी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित लेखे भी अलग से संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त, विविध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यपद्धति के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट भी संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है ।

वाणिज्यिक विभाग

25. रेलवे सरकार का प्रधान विभाग-चालित वाणिज्यिक उपक्रम है । रेलवे-बजट और रेलवे के व्यय से संबंधित अनुदान मांग संसद में अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं । रेलवे की कुल आमदनी और खर्च को भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण में समाविष्ट किया जाता है । तथापि, वास्तविक कार्यपद्धति का चित्रण करने और आमदनी और खर्च को बढ़ाकर नहीं दिखाने के लिए प्राप्ति बजट और व्यय बजट खंड 1 और 2 में यथा प्रतिबिंबित व्यय को प्राप्तियों में से घटाते हुए लिया गया है । दूर संचार विभाग की अनुदान मांगों को केंद्र सरकार की अन्य मांगों के साथ प्रस्तुत किया जाता है ।

26. वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाये गये रक्षा विभाग की आमदनी और खर्च को और अधिक ब्यौरे के साथ 'रक्षा सेवाओं के लिए अनुमान' नामक दस्तावेज में, जो रक्षा मंत्रालय के लिए विस्तृत अनुदान मांगों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है ।

27. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से भिन्न निकायों को दिये गये अनुदानों के ब्यौरे विविध मंत्रालयों के लिए विस्तृत अनुदान मांगों से संलग्न गैर सरकारी निकायों को भुगतान किये गये सहायता अनुदान विवरण में दिये जाते हैं । व्यय बजट खंड 1 के अनुबंध 6 में निजी संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों को वर्ष 2004-2005 के दौरान स्वीकृत 5 लाख रुपये से अधिक (आवर्ती) या 10 लाख रुपये से अधिक (अनावर्ती) के सहायता अनुदानों के ब्यौरे दर्शाये जाते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट

28. वर्ष 2005-2006 के दौरान प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के कार्यकलापों का वर्णनात्मक लेखा-जोखा 'वार्षिक रिपोर्ट' नामक दसतावेज में दिया जाता है, जिसे अलग से प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है और अनुदान मांगों पर चर्चा के समय संसद सदस्यों को वितरित किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण

29. केंद्र सरकार का बजट केवल आय-व्यय का विवरण नहीं होता है । स्वतंत्रता के बाद से पंचवर्षीय योजनाएँ आरंभ किये जाने के साथ, यह सरकारी नीति

अनुबंध 8.1
बजट दस्तावेजों की कुंजी - बजट 2006-07* *(जारी)*

का भी महत्वपूर्ण विवरण हो गया है । बजट में देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिबिंबित किया जाता है और उसे आकार दिया जाता है और बदले में अर्थव्यवस्था बजट को आकार प्रदान करती है। आर्थिक सर्वेक्षण में देश की आर्थिक प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया जाता है, जो संसाधनों के संग्रहण के बेहतर मूल्यांकन को और बजट में उनके आबंटन को सुसाध्य बनाता है । सर्वेक्षण कृषि और औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति, आधारभूत संरचना, रोजगार, मुद्रा आपूर्ति, कीमतों, आयातों, निर्यातों, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों और अन्य प्रासंगिक आर्थिक कारकों का, जिनका संबंध बजट से होता है, विश्लेषण करता है और आगामी वर्ष के लिए बजट के पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है ।

30. सरकार के बजट का प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर होता है । सरकार के आय-व्यय के अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए यह आवश्यक है कि उनका आर्थिक परिमाण के अनुसार समूहन किया जाये, उदाहरण के लिए, पूँजी निर्माण के लिए कितनी राशि अलग रखी जाती है, सरकार द्वारा सीधे कितनी राशि खर्च की जाती है और सरकार द्वारा कितनी राशि अनुदानों, ऋणों, आदि के जरिए अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को अंतरित की जाती है । यह विश्लेषण 'केंद्र सरकार बजट का आर्थिक एवं प्रयोजनमूलक वर्गीकरण' नामक दस्तावेज में अंतर्विष्ट होता है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा अलग से प्रकाशित किया जाता है ।

विनियोग विधेयक

31. अनुदान मांगों पर लोक सभा में मतदान हो जाने के बाद, दत्तमत राशि समेकित निधि से निकाले जाने और समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि के लिए संसद का अनुमोदन विनियोग विधेयक के माध्यम से माँगा जाता है । संविधान के अनुच्छेद 114(3) के अंतर्गत संसद द्वारा ऐसी विधि को अधिनियमित किये बिना समेकित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है ।

32. बजट प्रस्तुत किये जाने से लेकर उस पर चर्चा किये जाने तथा अनुदान माँगों पर मतदान किये जाने के लिए काफी लंबा समय अपेक्षित होता है । इसलिए संविधान द्वारा लोक सभा को यह शक्ति प्रदान की गयी है कि वह मांगों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी होने तक वित्तीय वर्ष के किसी हिस्से के लिए अनुमानित व्यय के संबंध में अग्रिम रूप में कोई अनुदान दे । 'लेखा अनुदान' का प्रयोजन 'अंतिम आपूर्ति' पर मतदान होने तक सरकार के कार्य को चलते रहने देना है । संसद से लेखा अनुदान एक विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक के माध्यम से प्राप्त किया जाता है ।

बजट घोषणाओं के संबंध में की गयी कार्रवाई का विवरण

33. इसमें वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में घोषित उपक्रमणों के संबंध में कार्यान्वयन की स्थिति अंतर्विष्ट होती है ।

मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण

34. जैसाकि राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 (एफआरबीएम ऐक्ट) में व्यादिष्ट है, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण, विनिर्दिष्ट राजकोषीय संकेतकों के साथ-साथ अंतर्निहित धारणाओं के लिए तीन वर्षीय आवर्ती लक्ष्य की घोषणा करता है। इस विवरण में राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन से संबंधित धारणीयता का मूल्यांकन और बाजार उधार सहित पूँजीगत प्राप्तियों का उपयोग उत्पादक आस्तियों के निर्माण के लिए करने को शामिल किया गया है ।

राजकोषीय नीति अनुकूलता विवरण

35. जैसाकि एफआरबीएम अधिनियम में व्यादिष्ट है, राजकोषीय नीति अनुकूलता विवरण में आगामी वित्त

अनुबंध 8.1
बजट दस्तावेजों की कुंजी - बजट 2006-07* *(समाप्त)*

वर्ष के लिए केंद्र सरकार की कराधान, व्यय, उधार देने और निवेश करने, नियंत्रित कीमत-निर्धारण, उधार लेने और गारंटियाँ देने से संबंधित नीतियाँ अंतर्विष्ट होती हैं । यह राजकोषीय क्षेत्र में सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं की रूपरेखा, किस प्रकार वर्तमान नीतियाँ सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और प्रमुख राजकोषीय उपायों में किसी बड़े विपथन के बारे में बताता है ।

समष्टि आर्थिक रूपरेखा विवरण

36. जैसाकि एफआरबीएम अधिनियम में व्यादिष्ट है, समष्टि आर्थिक रूपरेखा विवरण में अर्थव्यवस्था में विकास की संभावना का मूल्यांकन विनिर्दिष्ट अंतर्निहित धारणा के साथ किया जाना अंतर्विष्ट होता है। इसमें जीडीपी वृद्धि दर, केन्द्र सरकार के राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र संतुलन के संबंध में मूल्यांकन अतर्विष्ट होता है।